सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक 165/मंत्री/का० दिनांक 12-02-2018

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

विषय : आधार के फलस्वरूप राशन कार्डों का रद्द किया जाना.

संदर्भ : भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय की संचिका संख्या 23(17)/2016, दिनांक 05.02.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के अधीन 'डीबीटी मिशन' के निदेशानुसार वैसे फर्जी/प्रतिरूपित/नकली राशन कार्डों की संख्या राज्य सरकार से माँगी गई है जिन्हें आधार के उपयोग के कारण निरस्त/निलंबित किया गया है. राज्य सरकार के १००० दिन पूरा होने के अवसर पर मेरी जानकारी के बिना घोषणा कर दी गई थी कि झारखंड मे राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम–२०१३ लागू होने के उपरांत अबतक कुल ११.३० लाख राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं जिस कारण सरकार को काफी धन की बचत हुई है. इसमे यह सूचना नहीं दी गई कि किस श्रेणी के कितने राशन कार्ड किस कारण से निरस्त हुये हैं. अभीतक यह जानकारी उपलब्ध नही है.

भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में उल्लेख है कि राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की गणना में वैसे राशन कार्ड भी शामिल रहते हैं जिन्हें कतिपय अन्य कारणों जैसे– मृत्यु, विस्थापन, अपात्रता, अयोग्यता, कार्डधारी की आर्थिक स्थिति का उन्नयन आदि के कारण निरस्त कार्डों की संख्या भी शामिल रहती है. पर उन्हें केवल ऐसे राशन कार्डों की संख्या चाहिये जो आधार शामिल किये जाने की वजह से निरस्त किये गये हैं.

झारखंड में बडी संख्या में निरस्त किये गये राशन कार्डों में वैसे कार्डधारियों के राशन कार्ड भी शामिल हैं जो २७ मार्च २०१७ को राज्य की मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिग से और तदुपरांत २८ मार्च को लिखित रूप से दिये गये इस निर्देश के उपरांत निरस्त किये गये हैं कि "जिन राशन कार्डधारियों के पास आधार नहीं है उनके राशन कार्ड रद्द कर दिये जायं." चुकि नया राशन कार्ड जोड़ने अथवा पहले बने राशन कार्ड को निरस्त करने के लिये बने कम्प्यूटर सिस्टम में किसी का आधार नहीं रहने के कारण उसका राशन कार्ड रद्द कर देने का विकल्प नहीं है इसलिये यह पता करना मुश्किल हो रहा है कि बिना आधार वाले राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड निरस्त करने के लिये क्या विकल्प अपनाया गया है.

विगत 8 फरवरी 2018 को मुख्यालय में आहुत जिला आपूर्ति पदाधिकारियों की मासिक बैठक में भी यह सवाल उठा था. विगत कई महीनों से मैं स्वयं यह जानकारी विभाग से

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2482455, फैक्स : 0651-2401023, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं. इस बैठक में पुनः जिला स्तरीय अधिकारियों को यह बताने का निर्देश दिया गया कि अबतक निरस्त किये गये राशन कार्डों में से कितने राशन कार्ड किस कारण से निरस्त किये गये हैं. इन अधिकारियों के सामने संकट है कि जो राशनकार्ड आधार नहीं होने की वजह से मुख्य सचिव के निदेशानुसार निरस्त किये गये हैं उनका कारण ये क्या बतायें.

उपर्युक्त विषयक संदर्भ के अनुसार भारत सरकार जिस पारदर्शी तरीका से लोकोपयोगी योजनाओं में आधार के उपयोग से होने वाली बचत के संबंध में ठोस सूचना संग्रह कर रही है उसके मद्देनजर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य में विशेषकर राशन वितरण व्यवस्था में इस लाभ की ठोस एवं विश्वसनीय सूचना का संग्रह किस भाँति करें. ऐसी स्थिति केवल इसलिये उत्पन्न हो गई है कि 27 मार्च 2017 को मुख्य सचिव ने तत्कालीन विभागीय सचिव की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि "जिन राशन कार्डधारियों का आधार नहीं है उनके राशन कार्ड रद्द कर दिये जायं." इसके बाद 29 मार्च 2017 को इन्होंने इस आदेश की लिखित प्रति भी कारवाई के लिये विभागीय सचिव को भेज दिया.

मुझे जानकारी मिली तो मैंने 6 अप्रैल 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और केन्द्र सरकार के प्रासंगिक परिपत्र का हवाला देते हुये विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें भी राशन की सुविधा देनी है. मेरे इस निर्देश के बावजूद विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों को जांचोपरांत आधार विहीन राशन कार्डों को निरस्त करने संबंधी परिपत्र भेज दिया गया जिसके अनुपालन में अधीनस्थ अधिकारियों ने वैसे राशन कार्डों को निरस्त करने की कारवाई की जिनके धारकों का आधार नहीं जमा हुआ था.

मुख्य सचिव द्वारा विडीयो कांफ्रेंसिंग में दिये गये ऐसे निर्देश का संशोधन नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद एक अलग संचिका खोलकर मुख्य सचिव का यह आदेश रद्द करने की घोषणा मुझे करनी पड़ी. परंतु मुख्य सचिव और तत्कालीन विभागीय सचिव द्वारा 27 मार्च 2017 की वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देश, 29 मार्च 2017 के लिखित निर्देश और इसके अनुपालन में कृत कारवाई के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. यह नहीं बताया गया कि कि ऐसा निर्देश देने का कारण क्या है? ऐसा निर्णय उन्हें किस परिस्थिति में लेना पड़ा? और मेरे द्वारा सूचित किये जाने के बाद भी इन्होंने अपने निर्देश में सुधार क्यों नही किया? किस कारण मुझे जानकारी दिये बिना इनलोगो ने १००० दिन की सरकार की उपलब्धियों में शामिल कर दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के उपरांत ११.३० लाख राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं जिस कारण सरकार को करोड़ों रूपये की बचत हुई है ?

सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के निर्णय के विपरीत इनके इस निर्देश का नतीजा हुआ है कि अनेकों वैसे पात्र राशन कार्डधारियों के वैध राशन कार्ड रद्द हो गये हैं जिसका पता करना विभाग के लिये मुश्किल हो रहा है. आप सहमत होंगे कि राज्य के

Scanned with OKEN Scanner

शीर्ष एवं जिम्मेदारी के पदों पर बैठे ऐसे अधिकारियों का यह आचरण विधि–विधान एवं स्वस्थ प्रशासनिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है.

अनुरोध है कि उपर्युक्त संदर्भ में एवं उपरलिखित विवरण के आलोक में आपके द्वारा मुख्य सचिव और खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तत्कालीन सचिव से इस बारे में कालबद्ध स्पष्टीकरण पूछा जाय और उनके विरूद्ध विधिसम्मत कारवाई की जाय.

सादर,

भवदीय

सरयू 12.8.2018

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner